

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
5. समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य,
स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2016

विषय:- लिंगदोह कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार छात्रसंघ चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0(सी0) संख्या-24297/2004 यूनिवर्सिटी आफ केरला बनाम काउंसिल आफ प्रिन्सिपल्स, कालेजेस केरला एण्ड अदर्स व अन्य एस0एल0पी0(स) में पारित आदेश दिनांक 12-12-2005 के अनुपालन में देश में छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री जे0 एम0 लिंगदोह (पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त) कमेटी का गठन किया गया था। लिंगदोह कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 26 मई, 2006 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22-9-2006 द्वारा समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'लिंगदोह कमेटी' की संस्तुतियों के आधार पर छात्रसंघ चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-सी0एम0-08/ सत्तर-1-2012 दिनांक 21-3-2012 द्वारा दिशा-निर्देश कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्गत किये गये हैं।

3- एच0आर0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर में छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-62420/2015 नवनीत त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-11-2015 एवं 10-12-2015 में लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के अनुसार छात्रसंघ चुनाव कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन तथा महाविद्यालय प्रशासन को उत्तरदायी बनाये जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिये गये हैं। लिंगदोह समिति की संस्तुतियों में छात्रसंघ के गठन, छात्रसंघ का चुनाव कराये जाने की प्रक्रिया तथा छात्रसंघ गठित किये जाने एवं चुनाव की प्रक्रिया में शुचिता सुनिश्चित किये जाने से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं का समावेश है तथा उसका यथावत अनुपालन किया जाना बाध्यकारी है।

4- अतः लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-सी0एम0-08/सत्तर-1-2012 दिनांक 21 मार्च, 2012 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नांकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:-

1. लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के बिन्दु 6.2 में छात्रसंघ चुनाव हेतु निर्धारित 'मोड्स आफ इलेक्शन्स' में विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महाविद्यालयों की संख्या आदि के दृष्टिगत छात्रसंघ चुनाव के लिये उपयुक्त 'मोड्स आफ इलेक्शन' का चयन विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र कर लिया जाय तथा चयनित 'मोड्स आफ इलेक्शन' के अनुसार अग्रतर कार्यवाही की जाय।
2. ऐसा व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पंजीकृत छात्र नहीं है, को किसी भी रूप में चुनाव में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. लिंगदोह समिति की संस्तुतियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा छात्रसंघ के सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर परिणाम घोषित किये जाने तक चुनाव प्रचार की अवधि को सम्मिलित करते हुये चुनाव प्रक्रिया की अवधि 10 दिन से अधिक नहीं होगी।
5. छात्रसंघ चुनाव वार्षिक होंगे तथा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 06 से 08 सप्ताह के अंदर आयोजित किये जायेंगे।
6. छात्रसंघ चुनाव हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता वही होगी, जो लिंगदोह समिति की संस्तुति के बिन्दु 6.5 में निर्धारित की गयी है। पात्रता क्षेत्र में किसी प्रकार का शिथिलीकरण आदि प्रदान किया जाना वर्जित होगा।
7. लिंगदोह समिति की संस्तुति के बिन्दु 6.7 में निर्धारित आचरण संहिता का कड़ाई से अनुपालन अभ्यर्थियों द्वारा तथा चुनाव से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कैम्पस के अंदर आचरण संहिता का उल्लंघन करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय के कुलपति/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तथा कैम्पस के बाहर स्थानीय जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा की जायेगी।
8. चुनाव के दौरान नगर की गलियों, सड़कों, पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चुनावी रैली/सभाएं आयोजित करने की अनुमति किसी भी रूप में प्रदान नहीं की जायेगी।
9. किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों और समुदायों, धर्मावलम्बियों एवं भाषा-भाषियों के मध्य पारस्परिक घृणा एवं तनाव उत्पन्न हो।
10. जब अन्य अभ्यर्थी की आलोचना की जाये, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका संबंध अन्य अभ्यर्थियों या समर्थकों के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। अभ्यर्थियों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हों।
11. मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिये। पूजा के स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।
12. सभी अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 24 घंटे की अवधि के

दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।

13. किसी भी अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी केवल हस्त निर्मित पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं किन्तु ऐसे हस्त निर्मित पोस्टर पर व्यय चुनाव हेतु व्यय की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत ही होगा।
14. कैम्पस के अंदर निश्चित स्थानों पर ही हस्तनिर्मित पोस्टरों का उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा किया जा सकेगा, जिन्हें चुनाव आयोग/विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा पूर्व से ही निश्चित किया जायेगा।
15. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कैम्पस के बाहर अभ्यर्थी जुलूस निकाल सकते हैं किन्तु ऐसे जुलूस/जनसभाएं किसी भी रूप में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कक्षाओं तथा शैक्षणिक एवं को-करिकुलर एक्टिविटीज में अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगी। ऐसे जुलूस/जनसभाएं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन की लिखित रूप में पूर्व अनुमति से ही की जा सकेंगी।
16. चुनाव प्रचार हेतु लाउड स्पीकरों, वाहनों तथा जानवरों का प्रयोग वर्जित होगा।
17. मतदान दिवस को अभ्यर्थी एवं छात्र संगठन मतदान शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से कराये जाने हेतु सहयोग करेंगे। मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
18. मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों पर पानी के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ या अन्य ठोस और पेय पेश न किये जायें।
19. मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग अथवा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।
20. निर्वाचन आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निष्पक्ष प्रेक्षक तैनात कर सकते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा स्ववित्तपोषित संस्थानों, के सम्बन्ध में सरकारी सेवक प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जा सकते हैं। यदि अभ्यर्थी को चुनाव सम्पन्न कराने में कोई शिकायत या समस्या हो तो उसे प्रेक्षक के संज्ञान में लाना चाहिए। छात्रों के प्रतिनिधित्व हेतु नामांकन के माडल के अनुसार संस्थाओं में छात्रों के नामांकन हेतु नामांकन प्रक्रिया के प्रेक्षण हेतु प्रेक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं।
21. मतदान के 48 घंटे के अंदर मतदान केन्द्र की सफाई का संयुक्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का होगा।
22. लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कृत्य हेतु उत्तरदायी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, से हटा दिया जायेगा तथा निर्वाचन आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।
23. उक्त आचरण संहिता के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (सेक्शन 153 ए और चैप्टर 9 ए-आफेन्सेस रिलेटिंग टू इलेक्शन) को भी छात्रसंघ चुनाव में लागू किया जा सकता है।
24. किसी भी अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थक को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कैम्पस की परिसम्पत्तियों को ध्वस्त करने अथवा विकृत करने की अनुमति नहीं होगी। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कैम्पस की परिसम्पत्तियों को ध्वस्त करने अथवा विकृत करने की दशा में सभी अभ्यर्थी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
25. विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव का कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा उसकी पूर्व सूचना स्थानीय जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन को दी जायेगी।

26. छात्रसंघ चुनाव शांति पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन के पारस्परिक सहयोग/समन्वय में छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे।
27. छात्रसंघ चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कैम्पस के अन्तर्गत किसी ऐसी घटना, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो, शांति व्यवस्था भंग हो अथवा किसी भी प्रकार का अशांति का वातावरण उत्पन्न हो, के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कैम्पस के बाहर, बाजार, सार्वजनिक स्थल, नगर अथवा अन्य किसी स्थान पर किसी अवांछनीय गतिविधि के लिये स्थानीय प्रशासन/पुलिस प्रशासन उत्तरदायी होगा।
28. चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव प्रचार शिक्षण काल में नहीं किया जायेगा और न ही कक्षाओं में चुनाव प्रचार की अनुमति होगी।
29. विश्वविद्यालय के कुलपति छात्रसंघ चुनाव का कार्यक्रम शासन को प्रेषित करेंगे तथा छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न होने के उपरान्त चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में चुनाव परिणाम सहित आख्या शासन को 01 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।
30. लिंगदोह कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार छात्रसंघ चुनाव कराये जाने की समीक्षा शासन द्वारा की जायेगी। छात्रसंघ चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में लिंगदोह समिति की संस्तुतियों का उल्लंघन किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2016/49 /सत्र-1-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, उत्तर प्रदेश।
- 2- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 3- सचिव, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
- 4- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 6- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 8- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ-226001
- 9- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उOप्रO शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव।